तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/11/20	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित आये। वकील सरकार कार्य के जवाब प्राप्त नहीं पेश किया जाकर पत्रावली दिनांक 23/11/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	23/11/20 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/1/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
5/1/21	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित आये। वकील सरकार कार्य के जवाब प्राप्त नहीं पेश किया जाकर पत्रावली दिनांक 8/1/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
8/1/21	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित आये। वकील सरकार कार्य के जवाब पेश हुआ नकल [illegible] को दी गई। एतराज जाहिर किया समय चाहा। पत्रावली दिनांक 20/1/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
20/1/21	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित आये। [illegible] को [illegible] अन्तर्गत धारा 136 LR Act को [illegible] बहस सुनी गई [illegible] निर्णय [illegible]

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 84/18

1–शेरमौहम्मद पुत्र कन्हैया
2–शाकिर पुत्र सरजीत
3–बसीरी पत्नि समसू
4–आसमौहम्मद 5–समसू 6–सत्तार 7–नूरदीन 8–इस्माइल पिसरान सुआ
9–सुबुद्धि 10–जाहुल 11–सैकुल 12–वकील पिसरान निवाज खां
13–निवाज खां पुत्र उमरखां
14–समदखां पुत्र गबदू
15–मौहम्मद खां पुत्र गबदू
16–मौहम्मदीन पुत्र छोटू जाति मेवान निवासी धर्मशाला तहसील कामां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कामां

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 28.01.2021

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत पेश किया कि ग्राम धर्मशाला तहसील कामां का बन्दोबस्त हाल सन् 2007 में कायम किया गया था । जिसमें 709/489/0.32, 753/426/0.53,756/426, 470/0.38, 757/426, 469/0.53, 760/426,469/0.38, 779/468/1.13, 798/485, 486/1.13, 792/485, 486/1.13, 582/485, 486/1.46, 583/486/0.20, 474/468/0.65, 755/426/0.53, 758/426,469, 470, 483, 485,/0.37 व 783/468/0.65 वाके ग्राम धर्मशाला कि जमाबन्दी सं0 2070–2073 के हाल खसरा नम्बर 510/0.03 से लगायत 534/0.24 को बन्दोवस्त अधिकारियों ने कतई गलत तौर पर खिलाफ कानून व खिलाफ मौका को हाल खसरा नम्बरान को व ट्रेस नक्शा को गलत अंकित किया गया है ।, जो गलत है और जिसको दुरूस्त फरमाया जावे । व नक्शा को सही मौका मुआयना कर शुद्ध कायम किया जावे । तथा जो नक्शा ट्रेस हाल बन्दोवस्त में कायम किया गया है वह मौके के खिलाफ दर्ज हुआ इस प्रकार उपरोक्त भूमि को हाल के नक्शा ट्रेस में पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार ही उक्त खसरा नम्बरान को दुरूस्त करते हुये दर्ज किया जाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायल उपस्थित होकर जबाव पेश की कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके पर कब्जे के आधार पर नवीन नक्शा तैयार किया जाता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साबिक नक्शा व पटवारी हल्का के पास उपलब्ध साबिक नक्शा में खसरा नम्बर 489 व 482/486 में कहीं भी तरमीम नहीं की हुई है साबिक नक्शे के आधार पर यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थी आवेदित खसरा नम्बर 510 व 534 के कौनसे खेत की आकृति भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत बनाई गई है प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में उक्त खसरा नम्बरों का कोई मौके का नजरी नक्शा भी पेश नहीं किया है जिससे भू प्रबन्ध विभाग की गलती सिद्ध हो सके । अतः प्रार्थना खारिज किया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के बकील की बहस सुनी गयी जिसमें उसने अपने प्रार्थना में लिखित तथ्यों को दोहराया । तहसीलदार कामां के जबाव का मनन किया । तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया कि साबिक नक्शा व पटवारी हल्का के पास उपलब्ध साबिक नक्शा में खसरा नम्बर 489 व 482/486 में कहीं भी तरमीम नहीं की हुई है साबिक नक्शे के आधार पर यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थी आवेदित खसरा नम्बर 510 व 534 के कौनसे खेत की आकृति भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत बनाई गई है प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में उक्त खसरा नम्बरों का कोई मौके का नजरी नक्शा भी पेश नहीं किया है जिससे भू प्रबन्ध विभाग की गलती सिद्ध एवं नक्शा को शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है नक्शा शुद्धि हेतु प्रार्थी के साक्ष्य में अभाव में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत खारिज किया जाता है । । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां जिला भुरतपुर